न्यायालय - माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

कैम्प भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्र. /निगरानी- 3809/2018/विदिशा/भू.रा.

गनपतलाल पुत्र श्री रामप्रसाद दर्जी,
निवासी - ग्राम - भौरासा, तहसील - कुरवाई,
जिला - विदिशा (म.प्र.) ------ निग0कर्ता

बनाम

1. घनश्याम पुत्र श्री बुद्धलाल दर्जी (मृत)

वारिसान :-

1.अ. मिथलेश बेवा घनश्याम दर्जी.
1.ब. दीपक पुत्र श्री घनश्याम दर्जी,
1.स. कविता पुत्री घनश्याम दर्जी,
1.द. रानी पुत्री घनश्याम दर्जी,
1.फ. पूजा पुत्री घनश्याम दर्जी,

2. प्रेमनारायण पुत्र बुद्धलाल दर्जी,
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र बुद्धलाल दर्जी,

समस्त निवासीगण - वार्ड नं. 12, जाट मोहल्ला, गुना, तहसील - गुना, जिला - गुना (म.प्र.)

------ गैर निग.कर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा - 50 म.प्र.भू.रा. संहिता विरूद्ध आदेश दि. 30.1.2018 न्यायालय मान. अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, कैम्प विदिशा (म.प्र.) प्र.क्र. 632/अपील/11-12 गनपत विरूद्ध घनश्याम.

माननीय महोदय,

प्रकरण में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

संक्षेप में निगरानी के तथ्य

यह कि, निगरानीकर्ता व मृतक जमनाप्रसाद आपस में सगे भाई

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3809/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण आवेदन अस्वीकार किए जाने से अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार एवं वैद्य वारिसान की जानकारी प्राप्त कर स्वत्व के आधार पर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के अंतर्गत नामांतरण किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	